मेन्स मास्टर

कांग्रेस ने कच्चातीवू को 'बेरहमी' से श्रीलंका को दे दिया: प्रधानमंत्री

संदर्भ :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1974 में श्रीलंका को कच्चातीवु द्वीप सौंपने के लिए कांग्रेस की आलोचना की, जिसमें द्वीप के स्वामित्व पर परस्पर विरोधी दावों का खुलासा करने वाली एक आरटीआई क्वेरी का हवाला दिया गया। मोदी ने कांग्रेस पर भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि तमिलनाडु में भाजपा का लक्ष्य मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिए द्वीप को पुनः प्राप्त करना है।

पृष्ठभूमि:
• कच्चातीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में स्थित एक छोटा, निर्जन द्वीप है।
• दोनों देशों के पास द्वीप पर ऐतिहासिक दावे हैं। भारत रामनाद साम्राज्य के शासन के माध्यम से नियंत्रण का दावा करता है, जबकि श्रीलंका जाफना साम्राज्य के नियंत्रण और ब्रिटिश/डच मानचित्रों का हवाला देता है।

विवाद का कारण:
• भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा, विशेष रूप से कच्चातीवु द्वीप के आसपास स्वामित्व और मछली पकड़ने के अधिकार।

1974 समझौता:
• 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते ने दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा स्थापित की।
• समझौते ने द्वीप के पश्चिमी तट से एक मील दूर सीमा खींचकर कुच्चाथीवु का नियंत्रण श्रीलंका को सौंप दिया।
• भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह निर्णय विवाद का विषय रहा है, खासकर तमिलनाडु के मछुआरों के लिए, जिन्होंने पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों तक पहुँच खो दी है।
• समझौते में द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकारों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया, जिससे अस्पष्टता पैदा हुई और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को उनके जलक्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश करने के लिए बार-बार गिरफ्तार किया गया।

वर्तमान विवाद:
• **मछली पकड़ने के अधिकार:** समझौते में अस्पष्टता के कारण श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को बार-बार गिरफ्तार किया गया और परेशान किया गया।
• **तमिलनाडु की चिंताएँ:** तमिलनाडु के मछुआरों ने उत्पादक मछली पकड़ने के मैदानों तक पहुँच खो दी है और उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त, कई तमिलों को लगता है कि यह द्वीप सही मायने में भारत का है।
• **पर्यावरण संबंधी मुद्दे:** श्रीलंकाई नौकाओं द्वारा विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाएँ पाक जलडमरूमध्य में मत्स्य पालन की दीर्घकालिक स्थिरता को खतरे में डालती हैं।

अंतर-सरकारी पहल:
• **संयुक्त समिति (2007):** समाधान तलाशने के लिए स्थापित, लेकिन प्रगति सीमित रही है।
• **चल रही वार्ता:** राजनयिक वार्ता जारी है, जिसमें मछुआरों की गिरफ़्तारी को रोकने और दीर्घकालिक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
• **समझौते (2008 और 2010):** तटरक्षकों के बीच संचार चैनल स्थापित करके और आकस्मिक सीमा पार करने की सूचना देकर तनाव कम करने का लक्ष्य रखा गया। हालाँकि, इनसे गिरफ़्तारियों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है।

आगे की राह:
• **संयुक्त प्रबंधन:** द्वीप और उसके संसाधनों के लिए एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था।
• **मछली पकड़ने के क्षेत्र समझौते:** गिरफ़्तारियों को रोकने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के लिए विशिष्ट मछली पकड़ने के क्षेत्रों को परिभाषित करना।
• **वैकल्पिक आजीविका:** वैकल्पिक आय स्रोतों के माध्यम से विवाद से प्रभावित मछुआरों का समर्थन करने के तरीकों की खोज करना।
• **स्पष्ट मछली पकड़ने का अधिकार:** विवादित जल में भारतीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों पर एक स्पष्ट समझौते पर बातचीत करना।
• **घरेलू चिंताओं का समाधान:** ऐसा समाधान खोजना जो तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों की राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखे।

संकटों का बढ़ना

संदर्भ
• जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है, जिसका सीधा असर दक्षिण भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर पड़ रहा है।
• अल नीनो की घटनाएँ और वैश्विक तापमान में वृद्धि से जल की कमी का जोखिम बढ़ रहा है।

पृष्ठभूमि
• दक्षिण भारत में जल की कमी का संकट मंडरा रहा है, जहाँ जलाशय औसत क्षमता से बहुत कम हैं।
• पिछला बड़ा सूखा 2017 में पड़ा था, जो बार-बार आने वाले संकटों के बावजूद तैयारियों की कमी को दर्शाता है।

जल संकट
• **जल संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं:**
  ○ अविश्वसनीय मानसून और गंभीर अल नीनो प्रभाव
  ○ रिकॉर्ड तोड़ तापमान संसाधनों पर और दबाव डाल रहा है
  ○ अस्थिर शहरी विकास, भूजल का अत्यधिक दोहन
  ○ अकुशल जल पुन: उपयोग और संसाधन प्रबंधन
  ○ अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी

संकटों को बढ़ाना
• **जलवायु परिवर्तन व्यापक प्रभाव पैदा करता है, जहाँ जल संकट अन्य चुनौतियों के प्रभाव को और खराब कर सकता है:**
  ○ एक साथ होने वाली आपदाओं (सूखा + बीमारी का प्रकोप) का जोखिम बढ़ना
  ○ हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में वृद्धि

परिणाम
• भारत और अन्य निम्न-आय वाले देश जलवायु-संबंधी संकटों का खामियाजा भुगत रहे हैं।
• जल की कमी न केवल प्रत्यक्ष जोखिम पैदा करती है, बल्कि कई अन्य समस्याओं को और भी बदतर बना देती है।
• इस संकट की आवर्ती प्रकृति नीति और तैयारियों में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है।

आगे की राह
• **जलवायु परिवर्तन की बयानबाजी से परे जाकर सक्रिय प्रतिक्रिया तंत्र की तत्काल आवश्यकता है:**
  ○ जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण को प्राथमिकता दें
  ○ टिकाऊ शहरी नियोजन और लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करें
  ○ समुदाय-आधारित जल प्रशासन और संसाधन संरक्षण को बढ़ाएँ
  ○ अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करें जो भेद्यता को बढ़ाती हैं

केजरीवाल की गिरफ्तारी: धन शोधन निवारण अधिनियम को समझें

संदर्भ
• दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ रहा है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने के एक घोटाले का आरोप लगाया है, जिसका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। केजरीवाल पर इस कथित योजना में "सरगना" होने का आरोप है।

पृष्ठभूमि
• धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) वित्तीय अपराधों के विरुद्ध भारत का प्राथमिक कानूनी उपकरण है।
• इसका उद्देश्य अवैध आय ("अपराध की आय") को लक्षित करना है, जिससे उन्हें जब्त किया जा सके और इसमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके।

मुख्य बिंदु
• **अपराध की आय:** इस मामले का केंद्र शराब कारोबार से कथित रिश्वत है, जिसे पीएमएलए के तहत अपराध की आय माना जाता है।
• **प्रतिनिधि दायित्व:** ईडी का तर्क है कि केजरीवाल (मुख्यमंत्री और आप संयोजक के रूप में) और खुद आप दोनों को धन शोधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही वे योजना के सभी पहलुओं में सीधे तौर पर शामिल न हों।
• **धारा 70:** यह पीएमएलए प्रावधान कंपनियों और उनके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। यह संभावित रूप से राजनीतिक दलों को कानून की जांच के दायरे में लाता है।
• **पूर्वगामी अपराध:** पीएमएलए जांच को "अनुसूचित अपराध" से जोड़ा जाना चाहिए। यहां, पूर्वगामी अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है।
• **स्वतंत्र अपराध:** महत्वपूर्ण बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पूर्ववर्ती अपराध से स्वतंत्र रूप से लगाया जा सकता है, जो पूरी तरह से आय को छिपाने या उपयोग करने पर केंद्रित है।

केजरीवाल और AAP के लिए निहितार्थ
• ED अवैध धन का उपयोग करने में AAP की संलिप्तता स्थापित करना चाहता है, जिससे पार्टी और उसके नेता उत्तरदायी बन जाते हैं।
• सफल होने पर, AAP PMLA के तहत अभियोजित होने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन सकती है, जिससे संभावित रूप से संपत्ति जब्त या जब्त हो सकती है।

महत्वपूर्ण दृष्टिकोण
• **अनुमोदक की गवाही:** यह मामला आंशिक रूप से उन व्यक्तियों की गवाही पर निर्भर करता है जो अनुमोदक बन गए। ऐसी गवाही के लिए सावधानीपूर्वक जांच और स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता होती है।
• **व्यापक PMLA शक्तियाँ:** PMLA अधिकारियों को पर्याप्त जांच और प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करना कि इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो, इसके निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) क्या है?
• PMLA भारत में 2002 में लागू किया गया एक केंद्रीय कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से निपटना है।
• मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन (अपराध की आय) को छिपाने की प्रक्रिया है, ताकि ऐसा लगे कि यह वैध स्रोतों से आया है।

PMLA के मुख्य उद्देश्य:
1.मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना: इस अधिनियम का उद्देश्य अपराधियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ को छिपाने और उन्हें वैध गतिविधियों में लगाने से रोकना है।
2.अवैध संपत्ति की जब्ती: PMLA अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़ी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है।
3.अपराधियों को दंडित करना: कानून मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए दंड और सजा निर्धारित करता है।
4.अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: PMLA मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिससे अन्य देशों के साथ सहयोग करने की अनुमति मिलती है।

पीएमएलए के मुख्य प्रावधान:
• **वित्तीय संस्थानों के लिए दायित्व: बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों को:**
  ◦ ग्राहकों की पहचान सत्यापित करनी होगी
  ◦ लेन-देन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा
  ◦ वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (FIU-IND) को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करनी होगी
• **प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियाँ: PMLA के तहत ED के पास व्यापक जाँच शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:**
  ◦ तलाशी और जब्ती करना
  ◦ पूछताछ के लिए व्यक्तियों को बुलाना
  ◦ संदिग्ध संपत्तियों को फ्रीज करना और कुर्क करना
• **पूर्वनिर्धारित अपराध: PMLA "अनुसूचित अपराधों" की एक सूची को परिभाषित करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के आधार के रूप में काम करते हैं। इनमें शामिल हैं:**
  ◦ भ्रष्टाचार
  ◦ मादक पदार्थों की तस्करी
  ◦ आतंकवाद
  ◦ कर चोरी
• **दंड: PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है, जिसमें शामिल हैं:**
  ◦ कारावास (कुछ मामलों में 7 या 10 साल तक)
  ◦ भारी जुर्माना

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:
• **सबूत का बोझ:** कई आपराधिक मामलों के विपरीत, PMLA के तहत सबूत का बोझ आंशिक रूप से अभियुक्त पर होता है कि वह यह साबित करे कि संदिग्ध संपत्ति या संपत्ति अवैध तरीकों से प्राप्त नहीं की गई थी।
• **प्रतिनिधि दायित्व:** PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में अपने कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की कार्रवाइयों के लिए कंपनियों और संगठनों को उत्तरदायी ठहरा सकता है।

प्रीलिम्स बूस्टर

दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर अज्ञात क्षेत्रों की ओर इशारा करता है

🔬 **क्रांतिकारी लेजर तकनीक:**
इंजीनियर एंटोनिया टोमा ने उन्नत परिशुद्धता उपकरणों के लिए गेरार्ड मौरो और डोना स्ट्रिकलैंड द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता लेजर आविष्कारों का उपयोग करते हुए, थेल्स द्वारा संचालित रोमानिया में ELI परियोजना में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया।

🌌 **अनुप्रयोग और उन्नति:**
शक्तिशाली लेजर स्वास्थ्य सेवा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति प्रदान करता है, जिसमें परमाणु कचरे के उपचार, रेडियोधर्मिता को कम करने और अंतरिक्ष मलबे को साफ करने में संभावित अनुप्रयोग शामिल हैं, जो लेजर तकनीक की अभूतपूर्व शक्तियों और संभावनाओं को प्रदर्शित करता है।

🌟 **गेरार्ड मौरो का विजन:**
नोबेल पुरस्कार विजेता श्री मौरो लेजर की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हैं, एक छोटे से चमकदार बीज से लेकर अभूतपूर्व शक्तियों तक के प्रवर्धन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए, 21वीं सदी को लेजर तकनीक के युग के रूप में चिह्नित करते हैं, जो पिछली सदी में इलेक्ट्रॉन के महत्व के समान है।

भारत भर के रिकॉर्ड 60 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया

🏷️ **रिकॉर्ड संख्या में जीआई टैग:**
बनारस ठंडाई सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 60 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है, जो एक साथ यह मान्यता प्राप्त करने वाले उत्पादों की सबसे बड़ी संख्या है।

🎨 **असम के पारंपरिक शिल्प:**
असम ने छह पारंपरिक शिल्पों के लिए जीआई टैग हासिल किए हैं, जिनमें अशारिकंडी टेराकोटा शिल्प, पानी मेटेका शिल्प और जापी (बांस की टोपी), मिशिंग हैंडलूम उत्पाद और बिहू ढोल जैसी प्रतिष्ठित वस्तुएँ शामिल हैं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं।

🌿 **असम के अनूठे उत्पाद:**
असम के तेरह उत्पाद, जैसे बोडो दोखोना, बोडो एरी सिल्क, बोडो ज्वमग्रा और बोडो गमसा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो इतिहास में गहराई से निहित इन पारंपरिक वस्तुओं के महत्व को उजागर करता है और स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है।

🥤 **बनारस ठंडाई और अन्य:**
प्रसिद्ध बनारस ठंडाई, दूध, मेवे, बीज और मसालों के मिश्रण से बना एक पारंपरिक पेय है, जिसे बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च और बनारस लाल पेड़ा जैसे अन्य उत्पादों के साथ जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।

🎉 **विविध क्षेत्रीय मान्यता:**
त्रिपुरा, मेघालय और अन्य क्षेत्र भी अपने पारंपरिक उत्पादों, जैसे पचरा-रिग्नई पोशाक, माताबारी पेड़ा मिठाई, मेघालय गारो टेक्सटाइल बुनाई, मेघालय लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबिची के लिए जीआई टैग प्राप्त करते हैं, जो इन क्षेत्रों की अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करते हैं।

• भारत में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम सितंबर 2003 में लागू हुआ।
• भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के अनुरूप है। यह भारतीय जीआई-टैग किए गए उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org